पत्रांक–10ए0/भू0अ0नि0 (मुआवजा राशि)–107/2019....686.....(10)/रा0

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक–23-12-19

विषय :– जिला भू–अर्जन कार्यालयों के लिए व्यक्तिगत जमा (Personal Deposit) खोलने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार, झारखण्ड, राँची की सहमति से योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के विभिन्न पत्रांक/दिनांक द्वारा झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 330 के आलोक में प्रत्येक जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प्रत्येक जिला भू–अर्जन कार्यालय के पक्ष में व्यक्तिगत जमा (Personal Deposit) खोलने हेतु कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

उक्त व्यक्तिगत जमा (Personal Deposit) के संचालक संबंधित जिले के जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जिला भू–अर्जन कार्यालय होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। व्यक्तिगत जमा (Personal Deposit) का संचालन झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 330 एवं नीचे दिये गये शर्त्तों के अनुसार किया जाय। व्यक्तिगत जमा (Personal Deposit) का संचालन मुख्य शीर्ष–8443–सिविल जमा–उपमुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–106 व्यक्तिगत जमा–उपशीर्ष–06–भू अधिकरण हेतु प्राप्तियाँ के अन्तर्गत किया जायेगा। कोषागार द्वारा प्रत्येक माह के मासिक लेखा के साथ संबंधित संचालक (Administrator) का धन एवं ऋण ज्ञापन (Plus & Minus Memo) तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

व्यक्तिगत जमा (Personal Deposit) संचालन हेतु संचालक निम्न शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

1. भू–अर्जन हेतु बैंकों में जमा राशि एवं भविष्य में आवंटन से इतर विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि को e-GRAS के माध्यम से योजनावार अलग–अलग चालान Generate कर संबंधित कोषागार में संधारित लोक लेखा शीर्ष 8443–00–106–06–01–01 में जमा करेंगे।
2. भू–अर्जन हेतु आवंटित राशि को बजट शीर्ष से लोक लेखा शीर्ष में पुस्त–अंतरण के माध्यम से योजनावार उपरोक्त शीर्ष में जमा करेंगे।
3. यदि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं व्यक्तिगत खाता धारक अलग–अलग कोषागार से संव्यवहार कर रहे हैं तो इस स्थिति में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Bank Draft/Inter Treasury Transfer माध्यम से व्यक्तिगत खाता धारक को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

कृ0पृ0उ0।

4. लोक लेखा–व्यक्तिगत खाता (Personal Deposit) में जमा एवं निकासी का संधारण योजनावार किया जायेगा।

5. भू–अर्जन हेतु संधारित लोक लेखा–व्यक्तिगत खाता (Personal Deposit) में जमा राशि की निकासी प्राधिकार निर्गमन/जमा की तिथि से दो साल तक की जा सकेगी।

सभी उपायुक्त अपने जिले के भू–अर्जन पदाधिकारी के पक्ष में व्यक्तिगत जमा (Personal Deposit) दिसम्बर, 2019 तक खोलवाते हुए बैंकों में जमा राशि (आकस्मिकता व्यय/स्थापना व्यय को छोड़कर) 15 जनवरी, 2020 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। 15 जनवरी, 2020 तक बैंकों में जमा राशि व्यक्तिगत जमा (Personal Deposit) में जमा नहीं कराये जाने पर संबंधित जिलों के उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

20/12/19

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8ए0/भू0अ0नि0 (मुआवजा राशि)–107/2019....686....(10)/रा0 राँची, दिनांक–23-12-19

प्रतिलिपि :– सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/19

सरकार के सचिव।

mail sent 24.12.19

D:\Sec-10\10 A Draft Sweta.docx